संबंधों का स्थानांतरण

साभार : इंडियन एक्सप्रेस

11 सितंबर, 2017

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) के लिए महत्वपूर्ण है।

पूर्व की ओर देखो नीति के बावजूद, दिल्ली की प्रतिक्रिया बीजिंग की तुलना में बहुत धीमी रही हैं। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में भारत और म्यांमार को अपने संबंध को बेहतर बनाये रखने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की म्यांमार यात्रा 70 वर्षों से चली आ रही दो देशों के बीच राजनयिक संबंधों को चिह्नित करता है। पिछले 25 वर्षों में, नई दिल्ली ने एक जटिल रिश्ते को आश्चर्यचकित करते हुए असहमति से स्थानांतरित कर दिया है। उच्च सिद्धांत और आंग सान सू की के साथ शुरू होने के बाद, नई दिल्ली ने म्यांमार के सत्ताधारी सेना को लुभाया, जिन्होंने लगभग दो दशकों तक उसे जेल में बंद रखा।

आंग सान सू की को छोड़ दिए जाने के बाद और म्यांमार लोकतंत्र के लिए संक्रमण के बाद, भारत को एक और बदलाव करना पड़ा। सुक की अब सुपर काउंसिल और वास्तविक काउंसलर के रूप में विदेश मंत्री हैं, म्यांमार सेना घरेलू और विदेश नीति में बड़ी अपरोक्ष भूमिका निभा रही है, लेकिन वहां के जनरल चीन के साथ व्यापार करने में अधिक सहज महसूस करते हैं। यह प्रभाव म्यांमार से चीन तक बंदरगाह परियोजनाओं, म्यांमार-चीन रेलवे परियोजनाओं, खनन, पनबिजली परियोजनाओं जैसे बड़े चीनी निवेशों में दिखाई पड़ता है।

लुक ईस्ट के बारे में बड़ी इतनी चर्चा होने के बावजूद भारतीय सजगता बहुत धीमी रही है। उत्तर-पूर्व राज्यों को म्यांमार के माध्यम से उत्तर-पूर्व राज्यों से जोड़ने के लिए कालदान मल्टी-मोडल परियोजना को अभी भी पूरा करना बाकी है, म्यांमार के माध्यम से मणिपुर में मोरेह से थाईलैंड को जोड़ने वाली एक महत्वाकांक्षी त्रिपक्षीय राजमार्ग पर शेष काम के लिए ठेका देना बाकी है और पांच साल बीत जाने के बावजूद, वर्ष 2012 में दिए गए विकास परियोजनाओं के लिए + 500 क्रेडिट लाइन की छूट निष्क्रिय पड़ी हुई है। लेकिन पड़ोसी इलाकों में सांस्कृतिक कूटनीति भारत का एक महत्वपूर्ण हथियार बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान, भारत ने पुरातत्व सर्वेक्षण के माध्यम से प्राचीन शहर बगान में 92 प्राचीन शिवालयों और संरचनाओं के रख रखाव और संरक्षण में सहायता करने के लिए भारत ने संभवत: सबसे महत्वपूर्ण समझौते का प्रस्ताव दिया है। दोनों देशों ने इस पर समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दे दिया है। इसके अलावा, भारत ने म्यांमार के नागरिकों को मुफ्त वीजा की घोषणा भी की है।

देखा जाये तो, पिछले 10 वर्षों से बर्मा के रोहिंग्या मुसलमानों का पलायन जारी है और कई ने बांग्लादेश की सीमा पार करने के बाद भारत का रुख कर असाइलम का औपचारिक आवेदन कर रखा है। धीरे-धीरे ये मुसलमान भारत के जम्मू, आंध्र, पश्चिम बंगाल, असम, दिल्ली आदि क्षेत्रों में पहुंचकर रहने लगे हैं। इनमें से हजारों के पास संयुक्त राष्ट्र का शरणार्थी कार्ड नहीं है। सीमापार करने के लिए रोहिंग्या समुदाय के लोग बांग्लादेशी तस्करों का भी सहारा ले रहे हैं। कुछ तस्करों के लिए रोहिंग्या सिर्फ पैसा बनाने या हवस मिटाने का जरिया मात्र हैं। म्यांमार में वर्तमान हिंसा के चलते बांग्लादेश पलायन करने वाले रोहिंग्या शरणार्थियों की संख्या 1,23,000 है। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी यूएनएचसीआर की प्रवक्ता विवियन तान ने कहा है कि पलायन करने वालों की संख्या 87,000 होने का मंगलवार को अनुमान लगाया गया था, लेकिन संशोधित संख्या 1,23,000 है। हजारों लोग रोजाना जंगलों और धान के खेतों से होते हुए बांग्लादेश में सुरक्षित पहुंच रहे हैं। अन्य लोग दोनों देशों के बीच स्थित नदियों को पार कर रहे हैं, हालांकि इस कोशिश में कई लोग डूब भी गए हैं।

म्यांमार में राजनीतिक और सैन्य प्रतिष्ठान के साथ ही रोहिंग्या के प्रश्न पर वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रोहिंग्या मुद्दे का पुनरावृत्ति करते हुए मुख्य रूप से इसे एक राज्यविहीन और सताए हुए अल्पसंख्यक के मानव अधिकारों के मुद्दे के बजाय एक सुरक्षा का मुद्दा बताया, जो म्यांमार नेतृत्व के दोनों पक्षों के लिए एक स्वागत योग्य राहत होनी चाहिए, क्योंकि इन्हें इस मोर्चे पर अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का सामना करना पड़ रहा हैं।

मोदी ने रखाइन में आतंकवादी घटनाओं की निंदा की और वहां के सैन्य अभियानों की प्रशंसा की है और ऐसा करने वाला पहला देश बन गया। इस सन्दर्भ में दिए गए संयुक्त बयान में यह लिखा गया है कि रखाइन में समस्या आर्थिक विकास की कमी को दर्शाता है और भारत ने सहायता देने का वादा भी किया है। लेकिन तथ्य तो यह है कि रखाइन में रोहिंग्याओं कि मुख्य समस्या इन्हें नागरिकता का नहीं मिलना है जिसका उल्लेख इस संयुक्त बयान में कहीं नहीं किया गया है।

इससे संबंधित तथ्य

- प्रधानमंत्री की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब रोहिंग्या विरोधियों एवं म्यांमार की सेना के बीच खूनी संघर्ष जारी है। म्यांमार सरकार द्वारा घोषित आतंकवादी संगठन 'रोहिंग्या मुक्ति सेना' (rohingya salvation army) द्वारा 40 से अधिक पुलिस चौकियों पर आक्रमण के बाद से जारी इस संघर्ष में अब तक 400 से भी अधिक लोग मारे जा चुके हैं। रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे ने समूचे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा है।
- अब ऐसे में अपनी यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री को अपने इस पड़ोसी देश में जारी सांप्रदायिक हिंसा के इस जटिल और दर्दनाक मुद्दे के समाधान हेतु पहल करनी होगी। भारत को इस मुद्दे पर संवेदनशीलता इसलिये भी दिखानी होगी, क्योंकि हाल ही में सरकार ने रोहिंग्या शरणार्थियों को देश से निकालने को लेकर एक योजना बनाई थी।

- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में कहा था कि "गैर-कानूनी तौर पर रह रहे 40 हजार रोहिंग्या देश से बाहर निकाले जाएंगे क्योंकि देश के अलग-अलग जगहों पर रह रहे हैं रोहिंग्या मुसलमान अब समस्या बनते जा रहे हैं।
- यूएनएचसीआर के मुताबिक, भारत में 14,000 से अधिक रोहिंग्या रह रहे हैं। हालाँकि जो दूसरी सूचनाएँ गृह मंत्रालय के पास मौजूद हैं, उनके मुताबिक इस समय लगभग 40 हजार रोहिंग्या अवैध रूप से देश में रह रहे हैं।
- दरअसल, अवैध विदेशी नागरिकों का पता लगाना और उन्हें वापस भेज देना एक निरंतर प्रक्रिया है और गृह मंत्रालय 'विदेशी अधिनियम, 1946' की धारा 3(2) के तहत देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है।
- मूलत: म्यांमार के रखाइन प्रांत में रहने वाला रोहिंग्या समुदाय दुनिया के सबसे ज्यादा सताए हुए समुदायों में एक है। भारत में दस्तावेजों के अभाव में इनके बच्चों को स्कूलों में दाखिला नहीं मिलता है। साथ ही, न तो इन्हें पीने का साफ पानी मयस्सर है और न ही कोई इनकी सफाई का ध्यान रखता है।
- वैसे, भारत ने 1951 के 'यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी कन्वेंशन' और 1967 के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं। इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने वाले देश की यह कानूनी बाध्यता हो जाती है कि वह शरणार्थियों की मदद करेगा। यही कारण है कि वर्तमान में भारत के पास कोई राष्ट्रीय शरणार्थी नीति नहीं है, लिहाजा शरणार्थियों की वैधानिक स्थिति बहुत अनिश्चित है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विरुद्ध है।
- फिर भी एक लोकतान्त्रिक राष्ट्र होने के नाते भारत का यह दायित्व बनता है कि वह संकटग्रस्त लोगों के लिये अपने दरवाजे खुले रखे। जिस शरणार्थी को शरण देने की अनुमति दे दी गई है, उसे बाकायदा वैधानिक दस्तावेज मुहैया कराए जाएँ ताकि वह सामान्य ढंग से जीवन-यापन कर सके। साथ ही, शरणार्थियों को शिक्षा, रोजगार और आवास चुनने का हक भी दिया जाना चाहिये।
- यह सही है कि शरणार्थियों के कारण संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, कानून व्यवस्था के लिये चुनौती उत्पन्न होती है। लेकिन हमारी समस्या यह है कि राष्ट्रीय शरणार्थी नीति के अभाव में शरणार्थियों का न तो पंजीकरण हो पाता और न ही इनका कोई स्थायी पता होता है।
- ऐसे में यदि कोई शरणार्थी अपराध करने के बाद भाग जाए तो उसको कानून की गिरफ्त में लेना मुश्किल हो जाता है। अत: शरणार्थियों को वापस म्यांमार भेजने से ज्यादा उचित एक पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था का निर्माण करना है ताकि शरणार्थियों का प्रबंधन ठीक से हो सके।

म्यांमार की चीन पर बढ़ती निर्भरता

- चीन के साथ म्यांमार के रिश्ते इसलिये महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि इन सबंधों के केंद्र में म्यांमार के प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना है।
- विदित हो कि चीन म्यांमार में एक 'विशेष आर्थिक क्षेत्र' का निर्माण करने के लिये रियायतें दे रहा है। साथ ही, म्यांमार के क्यूक्यूऊ (Kyaukpyu) में एक प्राकृतिक एवं गहरे समुद्री बंदरगाह के विकास में भी चीन की दिलचस्पी है जो कि उसकी 'रोड एंड बेल्ट परियोजना' का हिस्सा बन सकता है।
- गौरतलब है कि चीन द्वारा म्यांमार में समय-समय पर सशस्त्र जातीय संघर्षों के तेज होने के दौरान विद्रोही समूहों और म्यांमार सरकार के बीच शांति वार्ता कराने में मध्यस्थ की भूमिका अदा की जाती है।
- इसके अलावा, रखाइन राज्य में जारी संघर्ष में म्यांमार को मानवाधिकारों के उल्लंघन का दोषी मानते हुए, संयुक्त राष्ट्र या अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब उस पर सवाल उठाया जाएगा तो वह अपने हितों के सरंक्षण के लिए चीन पर ही निर्भर रहेगा क्योंकि 'वीटो पावर' चीन को प्राप्त है न कि भारत को।

भारत से अपेक्षित प्रयास

- यदि भारत को म्यांमार में चीन के बढ़ते प्रभुत्व का मुकाबला करना है तो उसे भारत-म्यांमार आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाना होगा। वर्तमान में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार करीब 2.2 अरब डॉलर का है, जिसे और अधिक बढ़ाया जा सकता है।
- 'कालादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट' और 'भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग' जैसी परियोजनाओं को गति देनी होगी।
- मांडले स्थित 'म्यांमार इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टैक्नोलॉजी' जैसी और भी मानव विकास परियोनाएँ आरम्भ की जानी चाहियें। हालाँकि ऐसी संभावना है कि यात्रा के दौरान नई कनेक्टिविटी परियोजनाओं या विशेष आर्थिक क्षेत्रों पर सहयोग की घोषणा की जा सकती है।

और अधिक प्रयास की जरूरत क्यों?

- वर्ष 2022 तक कालादान और 'भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग' जैसी परियोजनाओं के समुचित कार्यान्वयन से भारत को महत्त्वपूर्ण लाभ प्राप्त होगा, लेकिन दुर्भाग्य से वाणिज्यिक व्यापार और निवेश के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि भारत का म्यांमार में निवेश आधार काफी संकीर्ण है।
- म्यांमार से कृषि एवं वन उत्पाद और तेल व गैस को वह विस्तारण देना होगा जो म्यांमार की विकासीय की जरूरतों के साथ-साथ 3 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को पूरा कर सके।
- भारत और म्यांमार बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिये बिम्सटेक जैसे क्षेत्रीय सहयोग की वह रूपरेखा तय करनी होगी जो दोनों ही देशों के लिये लाभप्रद हो।

संभावित प्रश्न

प्रधानमंत्री की वर्तमान म्यांमार यात्रा, भारत-म्यांमार संबधों को एक नए आयाम तक पहुंचाने में मदद कर सकती है। इस कथन के सन्दर्भ में बताएँ कि म्यांमार किस प्रकार से भारत के लिये एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार हो सकता है? साथ ही यह भी बताये कि रोहिंग्या समस्या इस संबंध को किस तरह प्रभावित कर सकता है? (200 शब्द)

705, IInd Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, New Delhi - 110009
Ph.: 011 - 27658013, 9868365322